

क्र. एफ 1-1 /2003/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 7 जून, 2003

प्रति,

आयुक्त,  
कोष एवं लेखा,  
मध्यप्रदेश, भोपाल।


विषय :- व्यक्तिगत जमा खाता-खोलने हेतु वित्त विभाग की सहमति।

...

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता, भाग-1 के सहायक नियम, 533 सहपठित नियम, 536 के अनुसार कोषालय में शासकीय व्यक्तिगत जमा खाता खोले जाने के लिए वित्त विभाग की सहमति/स्वीकृति आवश्यक है। शासन के किसी भी विभाग अथवा प्राधिकारी को अपने स्तर से कोषालय में व्यक्तिगत जमा खाता (Personal Deposit Account) खोलने का आदेश देने का अधिकार नहीं है।

2. कृपया समस्त कोषालय अधिकारियों को नियमों के उक्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश प्रसारित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(सुधीर नाथ)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग  
भोपाल, दिनांक 7 जून, 2003

पृ. क्र. एफ 1-1/2003/नियम/चार

प्रतिलिपि:-

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश,
2. समस्त संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित।



(पी.सी.वर्मा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग